भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3653
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941(शक) को उत्तर के लिए

विमानपत्तनों पर ई-वीज़ा सुविधा

†3653. श्री पी॰ रविन्द्रनाथ कुमारः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में नौ विमानपत्तनों पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन फैसिलिटी (ई-वीज़ा) शुरू करने का निर्णय लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अन्य विमानपत्तनों पर भी ई-वीज़ा सुविधा प्रदान करने की योजना बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): भारत सरकार ने दिनांक 27 नवम्बर 2014 को ई-वीजा स्कीम शुरू की है। वर्तमान में यह सुविधा 28 नामित विमानपत्तनों अर्थात दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, गोवा, कोलकाता, कोचीन, हैदराबाद, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, कालीकट, लखनऊ, अमृतसर, त्रिची, जयपुर, मंगलोर, पुणे, नागपुर, कोयम्बटूर, गया, बागडोगरा, गुवाहाटी, वाराणसी, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम, मदुरई, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर तथा 5 समुद्री पोर्टों अर्थात मुंबई, कोचीन, मंगलोर, गोवा और चेन्नई पर उपलब्ध है।

अतिरिक्त आप्रवासन चेक-पोस्टों (आईसीपी) पर ई-वीजा सुविधा प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है जो सभी हितधारकों से समुचित परामर्श करने के बाद तथा आवश्यक भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना और जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त दी जाती है।

****